



Office of the District Basic Education Officer  
PRATAPGARH

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SARASWATI VIDYA MANDIR, LALGANJ PRATAPGARH** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number allotted to SARASWATI VIDYA MANDIR is **PRA09433957406**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:28-07-2025To:28-07-2026(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4.School Type

Primary School(1 to 5)

5.Recognition No.

6. Medium

English

DATE:- 28-07-2025

PLACE:- PRATAPGARH

District Basic Education Officer

Digitally signed by BHUPENDRA SINGH  
Date: 2025-07-28 15:22:58  
Reason: For Digital Signature  
Location: PRATAPGARH

# दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

PRATAPGARH

सेवा में,

प्रबंधक

SARASWATI VIDYA MANDIR

LALGANJ PRATAPGARH

PRATAPGARH

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक :- 30/Jul/2025

**विषय-** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक( I - V ) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (अस्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में ) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा । ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।  
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा ।  
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा ।  
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2474

कुल निर्मित क्षेत्रफल-7455

क्रीड़ास्थल- नहीं

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 2

पेयजल सुविधा की संख्या- 30

बाधरहित पहुँच – हॉ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञानं सामग्री की उपलब्धता- हॉ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-**PRA09433957406** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिस्खा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कृपियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़ें भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेतिका,  
चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,

- 1- श्री गाजी सिंह स्मारक जूनियर हाई स्कूल,  
कटियारी, चकिया, रमईपुर, इलाहाबाद
- 2- श्री स्वामी विवेकानन्द स्मा०पू०मा०विद्यालय,  
सेरौवा, होलागढ़, इलाहाबाद
- 3- बाल विद्या मन्दिर पू०मा०बालिका विद्यालय;  
सड्वा कालोनी, टी०एस०एल०, नैनी, इलाहाबाद
- 4- मोहंउद्दीन मेमो०उ०प्रा०विद्यालय,  
हरपुर, महरौड़ा, तोराम, इलाहाबाद
- 5- सावित्री शिक्षा सदन जू०हा०स्कूल,  
चक्राउद नगर, नैनी, इलाहाबाद
- 6- सरस्वती शिक्षा निकेतन उ०प्रा०विद्यालय,  
बगहा करमा, इलाहाबाद
- 7- श्री देव प्रयाग सिंह जू०हा०स्कूल, म्योहर,  
कौशाम्बी
- 8- स्नान ल०मा०वि०,  
गोमालापुर, झींगर, बाबागंज, प्रतापगढ़
- 9- मन्तीलाल कैलरवानी ज०मा०वि०,  
पीभीपुर, कण्डा, प्रतापगढ़
- 10- गौतम बुद्ध जू०हा०स्कूल, मऊद्वार, मौर्य नगर,  
कण्डा, प्रतापगढ़
- 11- आचार्य देवीदीन आदर्श पू०मा०विद्यालय,  
भीथीपुर कण्डा, प्रतापगढ़
- 12- सरस्वती विद्यामन्दिर, लालगंज,  
प्रतापगढ़
- 13- शिवराज पू०मा०विद्यालय,  
देवापुर, जेठवारा, प्रतापगढ़
- 14- स्व० मिन्नी लाल ल०मा०विद्यालय,  
धर्मनगर, झींगर, कण्डा, प्रतापगढ़
- 15- डा० श्याम सुन्दर ल०मा०विद्यालय, गजरिया पट्टी,  
प्रतापगढ़
- 16- आर०पी० बालिका जू०हा०स्कूल,  
जस्रामऊ, प्रतापगढ़
- 17- जनहितकारी पू०मा०विद्यालय,  
सुजाकपुर, फौहपुर

कुमशः

28

- 18- शाहीद माल्टा से 0 नुसरत हुसेन जू 0 हा 0 स्कूल,  
कोड़ा, जहानाबाद, फ़तेहपुर
- 19- श्री स्वामी पथिक जनकल्याण पू 0 मा 0 विद्यामन्दिर,  
बकेवर, फ़तेहपुर
- 20- स्वामी ज्ञानानन्द जू 0 हा 0 स्कूल,  
कुसुम्भी, फ़तेहपुर
- 21- श्री कृष्ण विद्यामन्दिर जू 0 हा 0 स्कूल, पूरेभगला, भिदौरा,  
फ़तेहपुर
- 22- नाज जू 0 हा 0 स्कूल, ऐरायों,  
फ़तेहपुर
- 23- सरस्वती विद्यामन्दिर जू 0 हा 0 स्कूल, चौक,  
फ़तेहपुर

पत्रांक/शिविर/"अ"श्रेणी मान्यता/2544 - 80 /97-98 दिनांक:-14-8-97

विषय:- अक्षात्कीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर ६ से 8 तक ६ को "अ"श्रेणी की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 2681/15-6-95-18 एस 0 ७ ७ /89 दिनांक 18-1-96 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित समिति की बैठकों में लिये गए निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "अ" श्रेणी की मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि :-

- 1- विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ।
- 2- विद्यालय के प्रबन्धक का दायित्व होगा कि वह अधिनियमों/नियमतालिका एवं परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विधि पूर्ण निर्देशों का पालन करें ।
- 3- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जाय जिसे डाकघर में या अनुसूचित बैंकों में जमा किया जायेगा । विद्यालय में अङ्गीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- 4- कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक या कर्मचारी को वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को दिए जाय ।

Q. 12

Y.S.

६ कुमशः — 3६

5- 7 जला  
मा कोई कक्षा अथवा  
न संसादा किया  
6- वि

- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था अथवा कोई कक्षा अथवा कोई सैक्शन न बन्द किया जायेगा और न रोका जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न स्थानान्तरित किया जायेगा और न खोला जायेगा।
- 6- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी।
- 7- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह विभाग के नियमों और समय-समय पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा।
- 8- भविष्य में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाय।
- 9- यथा समय प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण कराया जाय।

शासकीय / विशिष्ट आदेशों का पालन न करने की स्थिति में समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथा प्रदत्त मान्यता के अनुसार कार्यवाही वादित्य होगी।  
 प्रत्याहरण के लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा-12 के अन्वये कार्यवाही वादित्य होगी।

श्रीमती प्रतिभा मिश्रा  
 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक,  
 चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद

पृ०सं०/शिविर/अश्रेणी की मान्यता/2544 - 80 /97-98 उसी तिथि को

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को स्वनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद
  - 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद
  - 3- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद
  - 4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फाहपुर
  - 5- लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फाहपुर
  - 6- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फाहपुर
  - 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

श्रीमती प्रतिभा मिश्रा  
 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक,  
 चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद

PRINCIPAL  
 Saraswati Vidya Mandir  
 Lalganj - Pratappgarh UP

MANAGER  
 Saraswati Vidya Mandir  
 Lalganj - Pratappgarh UP